

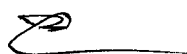
कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलिया।

विज्ञप्ति

दिनांक 18.09.2026

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 7659/S.F.C.M. Cell/Lucknow दिनांकित 14.09.2026 के अनुपालन में पारिवारिक न्यायालय बलिया में 01 परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है जिसके संबंध में शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 न्याय अनुभाग-02 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ दिनांक 18, जून, 2015 के तहत अधोवर्णित अहर्ता धारकों से निम्नलिखित शर्तों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

- 1- **आवेदक** यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो उसे समाज सेवा का अनुभव हो, जो व्यक्ति समाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हैं और पारिवारिक काउन्सलिंग में 02 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- 2- **आयु-** विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- 3- **सेवा अवधि-** परामर्शदाताओं का कार्यकाल तीन(3) वर्ष का होगा।
- 4- **निवास स्थान-** जो आवेदक बलिया जनपद का निवासी है, को वरीयता दी जायेगी।
- 5- **आवेदन करने की अंतिम तिथि-** अर्ह एवं इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिनांक 05.10.2026 सायं 5.00 बजे तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलिया में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- 6- **आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण-**
 - i. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
 - ii. आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र/ अंक पत्र की छायाप्रति)
 - iii. अन्तिम शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 - iv. अनुभव प्रमाण पत्र।
 - v. निवास प्रमाण पत्र।
 - vi. आधार कार्ड की छायाप्रति।
 - vii. पासपोर्ट आकार के दो (02) फोटो।
 - viii. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एवं आपराधिक वाद में संलिप्त ना होने के सम्बन्ध में शपथपत्र।
- 7- **पदों की संख्या-** एक (01) पद।
- 8- नियुक्त परामर्शदाताओं को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।
- 9- यह विज्ञप्ति तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी किसी आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/बनाये जाने वाले नियमों के अधीन होगी।
- 10- परामर्शदाताओं के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। न्यायालय से संविदा के अधार पर संबद्ध रहेंगे।
- 11- आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथा संभव एक पद के सापेक्ष पांच लोगो की सूची तैयार की जायेगी।
- 12- राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- 13- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय



प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

14- जो व्यक्ति इच्छुक हो, वे संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों व अन्य वांछित प्रपत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक 05.10.2026 के सांय 05.00 बजे तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलिया में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस विज्ञप्ति की एक एक प्रति जनपद न्यायालय/ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलिया तथा कलेक्ट्रेट बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाये एवं जनपद बलिया दीवानी न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड की जाय।

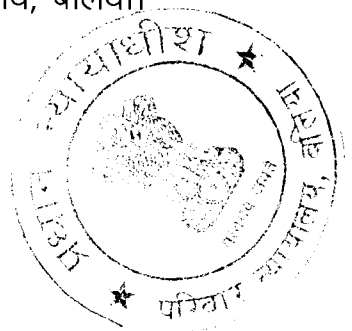
दिनांक-18.09.2026

(अश्वनी कुमार दुबे)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बलिया।

प्रतिलिपि-

- 1- जनपद न्यायाधीश बलिया को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- वरिष्ठ लिपिक, पारिवारिक न्यायालय बलिया को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय परिवार न्यायालय बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
- 3- अध्यक्ष/सचिव, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 4-अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार एसोसिएशन, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 5- जिला सूचना अधिकारी बलिया को दैनिकी समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 6- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय बलिया को जनपद न्यायालय बलिया के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(अश्वनी कुमार दुबे)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बलिया।



परिवार न्यायालय, बलिया में परामर्शदाता हेतु

आवेदन-पत्र

- 1-आवेदक का नाम –
- 2-आवेदक के पिता/पति का नाम –
- 3-आवेदक की उम्र व जन्मतिथि –
- 4-लिंग –
- 5-राष्ट्रियता –
- 6-धर्म –
- 7-जाति/श्रेणी –
- 8-वर्तमान पत्राचार का निवास पता–
- 9-स्थायी निवास पता–
- 10-मोबाईल नम्बर व इमेल आई०डी० –
- 11-वैवाहिक स्थिति –
- 12-आवेदक की शैक्षिक योग्यता का विवरण –

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	परिणाम/श्रेणी
(a) हाईस्कूल				
(b) इण्टरमीडिएट				
(c) स्नातक				
(d) परास्नातक				
(e) विशेष शैक्षणिक डिग्री/डिप्लोमा				

- 13-अनुभव–
- 14-अन्य विवरण यदि कोई हो–

स्थान–

दिनांक–

संलग्नकों का विवरण–

आवेदक का नाम –

आवेदक का हस्ताक्षर –